

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.



मि०न० - 110/2022

अनवान :-

1. अशोक कुमार पुत्र बेलीराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. बेलीराम पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. ओमा पुत्री बेलीराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
3. सुमन पुत्री बेलीराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88

राजस्थान कास्तकारी अधिनियम


उपस्थिति :- श्री भानूप्रताप बैनीवाल वादी
श्री अमरजीत बैनीवाल प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 09-09-22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं० 9/12 के खसरा सं० 524/94, 527/111 कुल 3.1870है० बारानी, व रोही मौजा चक 10 एमएसआर के खाता सं० 7/4 के मु० न० 25 के किला न० 25, मु० न० 28 किला न० 3, 4, 5, मु० न० 39 के किला न० 13/1, 13/2, 14, 15 कुल 1.7710है० नहरी जिसमें से नहरी 1.7580है०, गै० मु० रास्ता 0.0130है०, व रोही चक 11 एमएसआर के खाता सं० 3/3 के मु० न० 12 के किला न० 2/5, 2/6, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 8, 9/2, 14/2, 15 ता 17, 24, 25 कुल 3.1630है० जिसमें से नहरी 3.0750है०, गै० मु० खाला 0.0880है० बारानी नहरी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 बेलीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू हैं तथा हिन्दू विधि व रिति-रिवाज से शासित हैं। वाद भूमि पहले वादी के दादा श्योकरण की खातेदारी हुआं करती थी। प्रतिवादी सं० 1 कर्ता खानदान होने के कारण तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली। वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं० 1 ता 3 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।


उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तालव किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 3 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया। व प्रतिवादी सं० 4 स्टेट को आंर से जवाब दावा पेश किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी अशोक कुमार पुत्र बेलीराम के द्वारा साक्ष्य करवाये गये। जिसमें वर्तमान जमाबंदी के साथ साथ पैतृक जमाबंदी व वारिसान प्रमाण पत्र तस्दीक करवाये गये।


बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि मुताबिक राजीनामा वाद वादी डीकी किया जावे जिस पर वकील प्रतिवादी ने सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं० 9/12 के खसरा सं० 524/94, 527/111 कुल 3.1870है० बारानी, व रोही मौजा चक 10 एमएसआर के खाता सं० 7/4 के मु० न० 25 के किला न० 25, मु० न० 28 किला न० 3, 4, 5, मु० न० 39 के किला न० 13/1, 13/2, 14, 15 कुल 1.7710है० नहरी जिसमें से नहरी 1.7580है०, गै० मु० रास्ता 0.0130है०, व रोही चक 11 एमएसआर के खाता सं० 3/3 के मु० न० 12 के किला न० 2/5, 2/6, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 8, 9/2, 14/2, 15 ता 17, 24, 25 कुल 3.1630है० जिसमें से नहरी 3.0750है०, गै० मु० खाला 0.0880है० बारानी नहरी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 बेलीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जो प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होगा सावित है। जिसमें प्रतिवादी सं० 1 के साथ वादी व प्रतिवादी सं० 2 ता 3 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं० 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 के हक में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद भूमि में वादी अशोक कुमार व प्रतिवादी सं० 1 बेलीराम प्रत्येक 1/2-1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डीकी योग्य होने के कारण स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं० 9/12 के खसरा सं० 524/94, 527/111 कुल 3.1870है० बारानी, व रोही मौजा चक 10 एमएसआर के खाता सं० 7/4 के मु० न० 25 के किला न० 25, मु० न० 28 किला न० 3, 4, 5, मु० न० 39 के किला न० 13/1, 13/2, 14, 15 कुल 1.7710है० नहरी जिसमें से नहरी 1.7580है०, गै० मु० रास्ता 0.0130है०, व रोही चक 11 एमएसआर के खाता सं० 3/3 के मु० न० 12 के किला न० 2/5, 2/6, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 8, 9/2, 14/2, 15 ता 17, 24, 25 कुल 3.1630है० जिसमें से नहरी 3.0750है०, गै० मु० खाला 0.0880है० बारानी नहरी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 बेलीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में से तन्हा प्रतिवादी सं० 1 बेलीराम अकेले के बजाय वादी अशोक कुमार व प्रतिवादी सं० 1 बेलीराम प्रत्येक को 1/2-1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09-09-22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में




(शकुंतला चौधरी) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिष्ठाता (इन्तुमगढ़)
भादरा (जिता-हनुमानगढ़)

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

मि०न० - 110/2022

अनवान : -

1. अशोक कुमार पुत्र बेलीराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. बेलीराम पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. ओमा पुत्री बेलीराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
3. सुमन पुत्री बेलीराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।


प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री भानूप्रताप बैनीवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री अमरजीत बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं० 9/12 के खसरा सं० 524/94, 527/111 कुल 3.1870 है० बारानी, व रोही मौजा चक 10 एमएसआर के खाता सं० 7/4 के मु० न० 25 के किला न० 25, मु० न० 28 किला न० 3, 4, 5, मु० न० 39 के किला न० 13/1, 13/2, 14, 15 कुल 1.7710 है० नहरी जिसमें से नहरी 1.7580 है०, गै० मु० रास्ता 0.0130 है०, व रोही चक 11 एमएसआर के खाता सं० 3/3 के मु० न० 12 के किला न० 2/5, 2/6, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 8, 9/2, 14/2, 15 ता 17, 24, 25 कुल 3.1630 है० जिसमें से नहरी 3.0750 है०, गै० मु० खाला 0.0880 है० बारानी नहरी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 बेलीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में से तन्हा प्रतिवादी सं० 1 बेलीराम अकेले के बजाय वादी अशोक कुमार व प्रतिवादी सं० 1 बेलीराम प्रत्येक को 1/2-1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काशतकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09-09-22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से

जारी की गई।




(शकुंतला चौधरी) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)